शोध मंथन, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Aproved Journal No. 40908

'ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं मनरेगा' एक समाजशास्त्री विश्लेषण

डॉ. लालिमा सिंह

एसो0 प्रो0 / प्राचार्या ,एस.एस. खन्ना महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद।

सराश'

किसी भी राष्ट्र के विकास में समाज के प्रत्येक व्यक्ति वर्ग, जाति, समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण मानी जाती है। विकास की इस अवधारणा में हम महिलाओं की सहभागिता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतिहास इसका साक्षी है कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सहभागिता ने पूरे विश्व के सामने एक मानक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन विश्व के गिने–चुने विकसित देशों को छोड़ दे तो बाकी बचे देशों में महिलाओं की भूमिका पुरूषों से भी कम है। आज भी बहुत से देशों में महिलाएं पुरातनवादी व्यवस्था में जी रही है। महिलाओं को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए एवं पुरातनवादी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान की जाए। महिलाओं के लिए इस प्रयास की प्रक्रिया को ही 'महिला सशक्तिकरण' कहते है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को पुरूषों के बराबर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैधानिक एवं मानसिक क्षेत्रों में उसके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतन्त्रता से है।

भारत जैसे विकसशील देश में जहाँ महिलाओं की भूमिका एवं स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय थी आज भी सुधर नहीं पायी है, लेकिन समय–समय पर विद्धत्जनों एवं सरकारी प्रयासों द्वारा उनकी भलाई एवं सम्मान के लिए सार्थक प्रयास किये है। मनरेगा उन्हीं सार्थक प्रयासों का एक सफल कदम है। महिलासशक्तिकरण मनरेगा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ. लालिमा सिंह,

'ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं मनरेगा' एक समाजशास्त्री विश्लेषण,

शोध मंथन, दिस0 2017,
पेज सं0 7.11
http://anubooks.com/?page_id=581
Artcile No. 2 (SM 462)

मनरेगाः एक संक्षिप्त परिचय

मनरेगा एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून है जिसके तहत रोजगार गारंटी की अभूतपूर्व व्यवस्था है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य रोजगार के लिए पूरक अवसर उपलब्ध कराना है। विकास में निरन्तरता रखने के लिए राष्ट्रीय संसाधनो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के लिहास से मनरेगा एक सहयोगात्मक संसाधन है। मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यो में जल संरक्षण, वक्षारोपण, भूमि विकास आदि ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित काम है। अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार वर्ग को सिचाई सुविधा, बागबानी, वक्षारोपण जैसी योजनाओं से सम्बन्धित कार्य सौपे जाते है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि इसके जरिये लोकतन्त्र के सबसे निचले स्तर तक लाभ पहुँचाया जा सके और सरकार के कार्यो में पारदर्शिता और जवाब देही तय की जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 देश का एक ऐसा पहला अधिनियम है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराता है। इस योजना का शुभारम्भ 2 फरवरी 2016 को देश के 200 जिलों में लागू किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को वर्ष में 100 दिनों का शारीरिक श्रम युक्त रोजगार पाने का अधिकार है।

वर्ष 2007–2008 में इस योजना का विस्तार 330 जिलों में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अप्रैल 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदलकर 'नरेगा' से 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना' कर दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएः–

1. ग्रामीण परिवार का कोई भी व्यस्क सदस्य यदि अकुशल श्रम के तहत कार्य करने को इच्छुक है तो वह आवेदन कर सकता है।
2. ऐसे परिवारों को स्थानीय ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है।
3. जाँच पड़ताल के पश्चात् ग्राम पंचायत इच्छुक सभी सदस्यों का फोटो युक्त जॉब कार्ड जारी करता है।
4. रोजगार के लिए आवेदन के बाद 15 दिनों के अन्दर उसे काम दे दिया जाता है।
5. इस योजना के तहत कम से कम 1/3 भाग महिलाओं को काम दिये जाने की व्यवस्था है।
6. कार्य के दौरान कार्यस्थल पर कार्य कर रही महिलाओं के 6 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की जाती है।
7. घर से 5 किलोमीटर के आस–पास के क्षेत्रों में ही रोजगार दिया जाता है।
8. मजदूरी कम से कम 60 रू. प्रतिदिन हो सकती है, जिसका भुगतान बैंक खातों के जरिए होता है।
9. योजना को बनाने एवं लागू करने में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

मनरेगा एवं महिला सशक्तिकरण

इस योजना में शेड्यूल II पैरा 6 मनरेगा के अन्तर्गत कहा गया है – कार्य के वितरण में महिलाओं को प्राथमिकता देनी होगी ताकि कम से कम एक प्रकार के लाभ प्राप्त करने वालों में एक तिहाई से अधिक हिस्सा महिलाओं का हो।

ऐसी व्यवस्था रखने का एक मात्र उद्देश्य महिलाओं से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, उनका मनोबल ऊँचा उठाना है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाए जैसे ही आत्म निर्भर हो जाती है पुरूषों पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है और वे स्वयं को सशक्त महसूस करती है, समाज में उनका सम्मान एवं उनकी नजरों में स्वयं का आत्मसम्मान बढ़ जाता है। मनरेगा जैसी योजनाएँ न केवल देश से बेरोजगारी हटाने का कार्य कर रही है, वरन ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाकर उनके अन्दर सशक्तिकरण की भावना को भी बढ़ावा दे रही है।

महिलाओं की उच्च भागीदारी मनरेगा की प्रमुख प्राथमिकता है। राष्ट्र भर में योजना के तहत कुल श्रम दिवसों का 48 प्रतिशत काम महिलाओं ने किया जो कि शिक्षानिर्देश के 33 प्रतिशत से काफी अधिक है। महिलाओं की सम्पूर्ण भारत में भागीदारी दर के साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि इस योजना में महिलाओं की भागीदारी अन्य सभी योजनाओं की तुलना में सबसे अधिक है। मनरेगा ने महिलाओं के लिए काम का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है जो रोजगार एवं उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं।

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2006–07 में महिला रोजगार एवं श्रम दिवस लगभग 40.64 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2007–08 में 42.51 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2008–09 में यह बढ़ कर 47.87 प्रतिशत हो गया। वित्तीय वर्ष 2009–10 में 48.91 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2010–11 में महिला रोजगार एवं श्रम दिवस 47.73 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2011–12 में यह बढ़कर 49.33 प्रतिशत हो गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 में महिला रोजगार एवं श्रम दिव 51.30 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 52.82 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2014–15 में महिलाओं भागीदारी 54. 8 8 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2015–16 में यह भागीदारी 55.26 रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 56.14 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में महिलाओं भागीदारी एवं श्रम दिवस 54. 67 प्रतिशत रहा।

विभिन्न राज्यों में महिलाओं की भागीदारी अलग–अलग रही है। यह केरल में 71 प्रतिशत राजस्थान में 69 प्रतिशत, तमिलनाडु सबसे अधिक 82 प्रतिशत, असम में 31 प्रतिशत, बिहार में 27 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 17 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 15 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में 30 प्रतिशत एवं झारखण्ड में 27 प्रतिशत रही है।

भारत में मनरेगा की प्रगति यह बताती है कि महिलायें निश्चित रूप से लाभान्वित एवं सशक्त हुई है। आर्थिक स्वावलंबन और प्रदत्त कार्य तक पहुच कर महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मनरेगा द्वारा महिलाओं का अपनी मजदूरी पर अधिक नियन्त्रण हो गया है ओर वे उन्हें अपने छोटे ऋणों को चुकाने, बच्चों के स्कूल फीस भरने व स्वास्थ्य–सम्बन्धी खर्चो पर

इस्तेमाल करती है। मनरेगा, महिला प्रमुख वाले परिवारों के लिए एक उचित और स्थिर रोजगार है। एक सर्वेक्षण में विद्यवाओं ने मनरेगा को आय का महत्वपूर्ण स्रोत माना है। अधिकतर महिलाओं का कहना है कि मनरेगा ने उन्हें भूख से एवं बिमारी से बचाया है।

मनरेगा अधिनियम के अनुसार महिला एवं पुरूषों को एक समान दर से मजदूरी का प्रावधान है, एवं यह भी अनिवार्यता है कि कार्यस्थल पर कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं का होना आवश्यक है। मनरेगा धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव के बिना सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर प्रदान करने वाली योजना है। केरल एवं आन्ध्रप्रदेश दो ऐसे राज्य है जहाँ सबसे अधिक महिला श्रमिकों की संख्या दर्ज है।

भारत जैसे विकासीशील देश में जहाँ महिलाओं की भूमिका एवं स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय थी आज भी सुधार नहीं पायी है किन्तु फिर भी समय–समय पर सरकारी प्रयासों एवं विद्वजनों द्वारा उनकी भलाई एवं सम्मान के लिए सार्थक प्रयास किये है मनरेगा उन्हीं सार्थक प्रयासों एक सफल एवं साकारात्मक कदम है। मनरेगा ने बहुत ही कम समय में बहुत अधिक लोकप्रीयता हासिल कर ली है। काम करने की प्रति महिलाओं का रवैया बदला है, एक समान मजदूरी होने के कारण उनके अन्दर भी पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की सामर्थ्य आया है, एक रिपोर्ट के अनुसार 15 राज्यों में 33 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक मनरेगा के तहत कार्य कर रही है जो कि महिलाओं की जागरूकता एवं सशक्तिकरण को दर्शाता है।

इसी क्रम में आगे देखते हुए बात करें तो पता चलता है कि महिलाए, विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाएँ एक ही समय पर अनेक परेशानियों से जूझती है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अन्याय, बदहाली, और अनगिनत ऐसी परेशानियाँ है। जिनसे उन्हें आए दिन दो चार होना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में वे स्वयं को लाचार महसूस करने लगती है और यदि ऐसी परिस्थितियों में सरकार के द्वारा उन्हें वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो वह अपने परिवार एवं पति के साथ मिलकर काफी हद तक स्वयं को आर्थिक, सामाजिक मानसिक रूप से संगठित एवं मजबूत महसूस करती है।

मनरेगा एक वास्तविक पहल है ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का महिलाओं निजी तौर पर काम तो मिलता है किन्तु वह अनियमित होता है, उनका शोषण बहुत अधिक होता है, खतरो से भरपूर कभी–कभी जानलेवा भी होता है लोगों को प्रवजन के लिए भी प्रोत्साहित करता है ऐसी स्थिति में मनरेगा जो कि उन्हें अपने गांव एव घर के आस–पास रोजगार उपलब्ध कराती है, मानकीकृत मजदूरी प्रदान करती है और रोजगार में नियमितता लाती है एवं प्रवजन को भी रोकती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अंचलों के लिए मनरेगा एवं सर्वाधिक कुशल योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक महिला निजी कार्य करते हुए मात्र 47–48 रूपये प्रति कार्य दिवस कमाती है वही मनरेगा के तहत वह औसत दर से कम से कम 85–100 रूपये प्रतिकार्य दिवस कमाती है जो कि निजी कार्यो से कही अधिक है इसी कारण से इस योजना को सभी प्रदेशों में स्वीकार्यता मिल रही है।

मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्य स्थानीय सरकार के द्वारा ग्रामीण जनता को प्रदान किया जाता है एवं सरकारी कार्य होने की वजह से इसमें कार्य के घंटे भी तय है जो कि 7–8 घंटे प्रति दिन से ज्यादा के नहीं हो सकते है, साथ ही कार्य क्षेत्र में बच्चों के रख–रखाव की व्यवस्था भी की जाती है

जिसमें पांच से अधिक बच्चे जो कि 6 वर्ष से कम के हो, शामिल किये जाते है। सरकारी कार्य होने की वजह से यहाँ श्रमिकों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है जिसमें आर्थिक एवं मानसिक दोनो प्रकार की सुरक्षा सामिल है।

इस प्रकार मनरेगा योजना द्वारा महिलाएं जागरूक हो रही है एवं कही न कही पुरूषों के साथ बराबरी का अहसास उनके अन्दर जन्म ले रहा है। महिलाएं सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ–साथ आत्म सम्मान के प्रति सचेत हो रही है और स्वयं के लिए एवं अपने परिवार के भविष्य के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है, शिक्षा के महत्व को पहचान रही है और नारी शक्ति को जान रही है। मनरेगा के माध्यम से महिलाएं यदि अकेली है तो भी अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो रही है। मनरेगा द्वारा आर्थिक सहयोग मिलने से वे परिवार में निर्णय ले रही है एवं परिवार के अनेक समस्याओं जैसे छोटे–मोटे ऋण चुकाना, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, भोजन और उपभोग आदि से निजात दिला रही है। कुल मिलाकर सम्पूर्ण भारत में सशक्तिकरण की एक लहर सी दौड़ गई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के आकार, प्रकार एवं सोच आदि में भी परिवर्तन आया है। मनरेगा द्वारा पूरे देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास हो रहा है और देश बेरो जगारी के अभिशाप से धीरे–धीरे मुक्त हो रहा है।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, प्रेमनारायण एवं वाणी विनायक, 2011 गरीबी उन्मू लन एवं महिला सशक्तिकरण, लखनऊ पृ. 45
2. कुमावल, ललित, 2004 पंचायती राज एवं वंचित महिला समूहों का उभरता नेतृत्व, नई दिल्ली, पृ. 24
3. महात्मागांधी न रेगा समीक्षा II, 2013–14 ग्रामीण विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली पृ. 85
4. भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2012–13 आई डी एफ सी रूरल डेवलपमेंट, नई दिल्ली पृ. 26
5. खेड़ा, और नायक ''वूमेन वर्कर्स एण्ड परसेप्शन्स ऑफ द नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट पृ. 43
6. सिंह यू.पी. एवं आर.के. गर्ग 2012 महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम, नई दिल्ली पृ. 231
7. सदर्शन, रत्ना 2006 ''वूमेन एण्ड नरेगा, आई.एल. ओ रिपोर्ट पृ. 8
8. जंडू नवज्योति, 2008 ''इम्पलायमेंट गारंटी एण्ड वूमेन्स एम्पावरमेंट इन रूरल इण्डिया'' पृ.